राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सo 3 (16) 11/विविध/अभि/2014 15786-736 दिनांक : 5-6-14

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि न्यायालय में लम्बित ऐसे फौजदारी मामलें जिनमें राज्य सरकार पक्षकार है, उन सभी मामलों में सहायक लोक अभियोजकगण राज्य सरकार का प्रभावी पक्ष नहीं रख रहे हैं। सहायक लोक अभियोजकगण के माध्यम से प्रस्तुत आरोप पत्र, जमानत एवं सुपुर्दगी के प्रार्थना पत्र आदि मामलों में तो सहायक लोक अभियोजकगण प्रभावी पैरवी कर रहे हैं परन्तु धारा 299 जाब्ता फौजदारी के नियमित प्रकरण एवं धारा 70 (2), 82, 83, 102 व 446 दं0प्र0सं0 आदि मुतफरीक मामलों में सहायक लोक अभियोजकगण की प्रकरणों में उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद प्रभावी पैरवी नहीं होती। मुल्जिम के अनुपस्थित रहने अथवा फरार होने पर उनकी तलबी सुनिश्चित कराने के लिए न्यायालयों द्वारा की जाने वाली धारा 446, धारा 82 व 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाहियों में राज्य सरकार का प्रभावी पक्ष रखने पर मुल्जिमान की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। मुल्जिमान की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के शीध्र निस्तारण में भी बढोतरी होगी। अतः सभी सहायक लोक अभियोजकगण यह सुनिश्चित करें कि जिन फौजदारी मामलों में (नियमित एवं मुतफरीक) राज्य सरकार पक्षकार है उन सभी मामलों में तथा अन्तिम प्रतिवेदनों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करें।

सभी उप/सहायक निदेशकगण अभियोजन को भी निर्देश दिये जाते हैं कि सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा उपरोक्त मामलों में प्रभावी पैरवी करने के सम्बन्ध में अपना प्रभावी नियन्त्रण रखते हुए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करें तथा जिन प्रकरणों की पत्रावलियॉ सहायक लोक अभियोजकगण के पास नहीं है उनसे सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजात की न्यायालय से नियमानुसार प्रतिलिपि लेकर पत्रावली संधारित करें और मुतफरीक मामलों की भी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट पेश करें।

5/6/2014
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3. समस्त शाखा प्रभारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

5/6/2014
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर